समाचार और वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों द्वारा एसएनजी/डीएसएनजी उपस्कर/अवसंरचना को किराए पर लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म

(इस आवेदन फार्म को भरने से पहले कृपया इसके अंत में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए)

सेवा में.

सचिव.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

विषय: भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमित प्राप्त समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों द्वारा एसएनजी/डीएसएनजी उपस्कर/अवसंरचना को अनुमित प्राप्त टेलीपोर्ट ऑपरेटरों तथा दूर्शन से किराए पर लेने की अनुमित प्राप्त करने के लिए आवेदन।

(इन्हें किराए पर लेने से 15 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

1. आवेदक का ब्यौरा :

- i) कम्पनी का नाम
- ii) पता
- iii) टेलीफोन नं.
- iv) फैक्स नं.
- v) ई-मेल आईडी
- vi) व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जाए
- vii) सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं.

ऐसे समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनल (चैनलों) का नाम (के नाम)
जिसके (जिनके) लिए डीएसएनजी(एस) किराए पर लिए जाने का प्रस्ताव किया
गया है:

(इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनुमति (अनुमतियों) और डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा चैनल (चैनलों) के वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की प्रतियां संलग्न की जाएं)

3. किराए पर लिए जाने वाले डीएसएनजी का ब्यौरा :

डीएसएनपी	उद्देश्य	किराए	की	सैटेलाइट	बैण्ड
की संख्या		अवधि			
और प्रकार		से			
		तक			
	की संख्या	की संख्या	की संख्या अवधि और प्रकार से	की संख्या और प्रकार से	की संख्या अवधि और प्रकार से

- 4. कृपया सैटेलाइट बैण्डविथ प्रदाता के नाम (यदि बैण्डविथ के लिए अंतिरक्ष विभाग से बारम्बारता आबंटन प्राप्त किया है तो इसे प्रस्तुत किया जाए अथवा इस उद्देश्यार्थ सैटेलाइट पट्टा करार प्रस्तुत किया जाए) का उल्लेख किया जाए।
- उस टेलीपोर्ट ऑपरेटर के नाम का उल्लेख किया जाए जिससे डीएसएनजी (एस)
 किराए पर लिया जाना है/लिए जाने हैं।

(वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की प्रति सहित टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता से प्राप्त सहमति पत्र की प्रति निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की जाए)

घोषणा : मैंने इस आवेदन के अंत में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मुझे इस बात की पूर्णत: जानकारी है कि अपूर्ण अथवा झूठी सूचना प्रदान करने के मामले में आवेदन रद्द किया जा सकता है। मैं समय-समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए अपलिंक संबंधी दिशानिर्देशों तथा अन्य लागू कानूनों में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि एसएनजी(एस)/डीएसएनजी(एस) के माध्यम से एकत्र किया

गया फीडबैक कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के अनुरूप होगा और इसका उपयोग केवल क्षमता बढ़ाने के लिए सीधे समाचार प्राप्त करने तथा फुटेज संग्रह के लिए ही किया जाएगा।

स्थान :

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

मोबाइल नं.:

कम्पनी की मोहर :

समाचार और वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों द्वारा एसएनजी/डीएसएनजी <u>उपस्कर/अवसंरचना को किराए पर लेने के आवेदन फार्म को भरने के लिए</u> आवेदकों को निर्देश

- 1. इस मंत्रालय से भारत से अपलिंक करने की अनुमित प्राप्त केवल समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों को ही अनुमित प्राप्त टेलीपोर्ट ऑपरेटरों से डीएसएनजी को किराए पर लेने के लिए इस आवेदन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अन्य सभी आवेदकों को अस्थायी अपलिंक अनुमित के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है जिसके लिए अलग से आवेदन फार्म है जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।
- आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय इसे किराए पर लेने की अविध की आयोजना बनाए और उन्हें इसे बार-बार बढ़ाने की मांग करने से बचना चाहिए।
- उ. एसएनजी/डीएसएनजी को किराए पर लेने का आवेदन इसे शुरू करने से कम से कम 15 स्पष्ट दिवस पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
- 4. एसएनजी/डीएसएनजी को किराए पर लेने वाले सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज संलग्न हैं /
 - क. उन टीवी चैनलों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनुमित (अनुमितयों) तथा डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा प्रदान किए गए वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की प्रति (प्रतियां)।
 - ख. उस टेलीपोर्ट ऑपरेटर जिससे डीएसएनजी (डीएसएनजीएस) किराए पर लिया जाने वाला है, से प्राप्त सहमति पत्र की निर्धारित फार्मेट में प्रति।
 - ग. उस टेलीपोर्ट ऑपरेटर जिससे डीएसएनजी को किराए पर लेने का प्रस्ताव किया गया है, को इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई डीएसएनजी (डीएसएनजीएस) के वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की प्रति।

- घ. बैण्डविथ यदि पहले ही उपलब्ध है तो इसके लिए अंतरिक्ष विभाग से प्राप्त बारम्बारता आबंटन पत्र अथवा सैटेलाइट बैण्डविथ प्रदाता के साथ अन्यथा किया गया पट्टा करार प्रस्तुत किया गया।
- ड. आवेदन कम्पनी द्वारा सभी दस्तावेज इनके प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जाएं।

कृपया नोट किया जाए : यदि फार्मेट में यथा-उल्लिखित सभी ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(टेलीपोर्ट ऑपरेटर द्वारा प्रसारणकर्ताओं को एसएनजी/डीएसएनजी को किराए पर देने की सहमति प्रदान करने के लिए फार्मेट)

	~.
सवा	म,

(आवेदक कम्पनी)

मैसर्स(टेलीपोर्ट ऑपरेटर/डीडी) एतद्द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन की शर्त के अधीन मैसर्स (आवेदक कंपनी) को निम्नलिखित ब्यौरे के साथ केयू/सी-बैण्ड, एसएनजी/डीएसएनजी की संख्या को किराए पर देने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं :-

- 1. एमआईबी अन्मति संख्या और इसकी तारीख:
- 2. उपयोग के लिए अनुमत्य एसएनजी/डीएसएनजी वैन की संख्या :
- 3. कार्य कर रही एसएनजी/डीएसएनजी वैन (टर्मिनल) की संख्या :
- 4. उपयोग की जा रही एसएनजी/डीएसएनजी वैन की संख्या :
- 5. किराए के लिए प्रस्तावित एसएनजी/डीएसएनजीएस की संख्या :
- 6. तारीख सहित किराए की प्रस्तावित अवधि :

स्थान :

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

मोबाइल नं.:

कम्पनी की मोहर :